[23/12/2019]
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र 1677 के परि. "अ"
प्रश्न सं. [क्र 1677]

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर

पत्र क्र/जॉच/2013/12258 जबलपुर दिनांक 01-03-2013

प्रति,

जिला सर्तकता अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा
जिला – जबलपुर

विषयः– तत्कालीन कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर द्वारा कलेक्टर जबलपुर से कराए गए फर्जी अंतर्निकाय संविलियन निरस्त कराने बिषयक।

संदर्भः– आपका पत्र क.9420/कमि./स.अ.2/2012 जबलपुर दिनांक 19.10.2012

विषयांर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से उपायुक्त (विकास) जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र दिनांक 04.10.2012 के माध्यम से प्राप्त मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की शिकायत दिनांक 22.08.2012 के संबंध में परीक्षण किया गया है एवं तदानुसार स्थिति निम्नानुसार प्रतिवेदित हैः–

यह है कि प्रातीय महासचिव म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के शिकायती पत्र दिनांक 22.08.2012 के द्वारा यह शिकायत की गई है कि तत्कालीन कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 22 अध्यापको के संविलियन आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश क. /शिक्षा/सं.वि./स्थाना./2012/434 दिनांक 14.07.2012 के द्वारा जिला पंचायत जिला जबलपुर के अंदर जारी किये गये हैं जो वर्तमान प्रचलित संविलियन नियम के अनुसार नही है। अतः उनके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें। संलग्न **परिशिष्ट–01,02** के अनुसार अवलोकनार्थ।

2– यह कि इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भी पूर्व में एक शिकायत म.प्र. शासकीय अध्यापक संगठन के द्वारा दिनांक 23.07.2012 को की गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा इस पर जॉच करने के निर्देश उनके पत्र दिनांक 21.08.2012 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये थे।

इस निर्देश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के रूप में मेरे द्वारा परीक्षण किया गया था और इसमें पाया गया था कि विषयांकित शिकायत अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश क. /शिक्षा/स.वि./स्थाना./2012/434 दिनांक 14.07.2012 के द्वारा जिन 22 अध्यापकों के जिला पंचायत अंतर्गत एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में संविलियन किया गया है उनमें 03 निशक्त अध्यापकों का संविलियन मानवीय आधार पर तथा शेष 19 सभी महिला अध्यापको का संविलियन जनप्रतिनिधियों के संदर्भ पर किया गया है।
संलग्न **परिशिष्ट–03** के अनुसार अवलोकनार्थ।

3– परीक्षण के दौरान तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्थानांतरण कार्य से जुड़े अमले से ली गई जानकारी के अनुसार यह संविलियन म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप कमांक /एफ–1–75/2008/20–01 भोपाल दिनांक 28.06.2008 एवं ज्ञाप कमांक /एफ–1–15/2010/20–01 भोपाल दिनांक 20 मई 2010 के अनुकम में किया गया है। वस्तुतः इन दोनो ही ज्ञापों में निकाय के अंदर व्यवरथापन/स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था है।

संलग्न **परिशिष्ट–04,05** के अनुसार दोनो ज्ञाप अवलोकनीय है।

4– लोक शिक्षण संचालनालय के ज्ञाप क/शि.क./ए/19/2012/288 भोपाल दिनांक 22.05.2010 में उनके अन्य ज्ञाप कमांक क/शि.क./स.वि./ए/63//2011/648 भोपाल दिनांक 12.08.2011 द्वारा संविलियन में लगाई गई रोक स्थानांतरण नीति वर्ष 2012–13 में उल्लेखित अप्रतिबंधित अवधि के लिए संविलियन की छूट इस शर्त पर दी गई थी कि संविलियन सीधी भर्ती के पदो पर जिला शिक्षा अधिकारी के पुष्टि उपरांत दोनो निकायों की अनापत्ति पर किया जावेगा। उल्लेखनीय है कि जारी संविलियन आदेश के पूर्व इन शर्तो का विधिवत पालन किया गया है। संचालनालय के ये निर्देश परिशिष्ट–06.07 अवलोकनीय है।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

(14)

(212)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 1677 का परि. अ

5— शिकायत में मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप कमांक /एफ 1—10/2005/20—1 भोपाल दिनांक 08.11.2005 के द्वारा जारी महिला तथा विकलांग शिक्षा कर्मियो के अन्य निकाय में संविलियन संबंधी नीति को इस उल्लेख के साथ आधार बनाया गया है कि आदेशानुसार महिला शिक्षा कर्मी अथवा पुरूष 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षा कर्मियों को संवर्ग एवं पद की उपलब्धता के आधार पर एक स्थानीय निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन किये जाने का प्रावधान रहा है और तत्कालीन कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस नीति के विरूद्व एक ही निकाय के अंतरर्गत संविलियन की कार्यवाही की गई है।

यहा यह उल्लेखनीय है की जारी संविलियन आदेश जिला पंचायत अंतर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में दोनो निकायों के अनापत्ति के आधार पर जारी किया गया है, और इस प्रकार अंतर निकाय संविलियन की नीति का पालन हुआ है। यहा शिकायत के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इन सवर्गो की भर्ती नियम 2005 के अनुकम में यह नीति जारी की गई थी और इन भर्ती नियमों में शिक्षा कर्मी वर्ग—02 के नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हुआ करते थे। इन नियमों में अध्यापक संवर्ग का प्रावधान नही था। अध्यापक संवर्ग का जन्म वर्ष 2007 में हुआ है और इस संबंध में भर्ती नियम 2008 में प्रकाशित हुये है। 2008 में प्रकाशित भर्ती नियमों में शिक्षा कर्मी वर्ग—02 के समानान्तर संविदा शाला शिक्षक वर्ग—02 के संविलियन उपरांत अध्यापक संवर्ग का निर्माण हुआ है इस निर्माण के साथ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—02/अध्यापक संवर्ग का नियोक्ताकर्त्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बनाया गया है। यदि शिकायती बिन्दु को आधार माना भी जाये तो जिला पंचायत के अंतर्गत जिसका परिक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होता है, अध्यापक संवर्ग का एक जनपद से दूसरे जनपद में संविलियन सम्भव ही नही हो सकता है। अतः यहाँ संविलियन नीति का आशय एक निकाय से दूसरे निकाय के संबंध में एक जनपद से दूसरे जनपद को माना गया है, जो व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत होता है।

6— यह कि शिकायत दिनांक 22.08.2012 की स्थिति में जारी प्रश्नांकित संविलियन आदेश का पूरी तरह से कियान्वयन हो चुका था और उनके द्वारा रिक्त हुये स्थान पर भी किये गये स्थानांतरण कियान्वित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में यदि इस संविलियन आदेश को त्रुटि पूर्ण भी माना जावे जो कि उचित नही होगा तब भी उसका निरस्त किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नही था।

उक्तानुसार स्थिति के साथ नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उनके निर्देश के अनुकम में प्रस्तुत की गई थी जिस पर कलेक्टर महोदय के समक्ष हुई चर्चा में यथा स्थिति बनाये रखने के निर्णय लिये गये थे। उल्लेखनीय है कि यह संविलियन आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन पर जारी किये गये है। इस प्रकार संविलियन संबंधी की गई कार्रवाई प्रथम दृष्टतया उचित प्रतीत होती है। इस संबंध में की गई शिकायत नस्ती बद्व योग्य है।

संलग्न : उक्तानुसार

(आर.पी.द्विवेदी) 1.3.201
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जबलपुर
जबलपुर दिनांक 01.03.20

पृ. पत्र क्र/जॉच/2013/12259

प्रतिलिपि :—

7. उपायुक्त (विकास) जबलपुर संभाग जबलपुर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर। –

1.3.201
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जबलपुर

अनुभाग अधि.
स्कूल शिक्षा विभाग